

अनुसूचति जनजातकी सूची में शामिल नए समुदाय

प्रलिस के लयि:

हट्टी जनजात, गॉड समुदाय, राष्ट्रिय अनुसूचति जनजातआयोग, नारकिरावन और कुरीवकिकरन, बङ्गिया

मेन्स के लयि:

अनुसूचति जातयिं और जनजातयिं से संबंघति मुद्वे

चर्चा में क्यो?

हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों में लंबे समय से लंबति मांगों को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़, तमलिनाडु, कर्नाटक, हिमिचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनुसूचति जनजातयिं (Scheduled Tribes-STs) की सूची में कुछ अन्य समुदायों को शामिल करने की मंजूरी दी है।

कसी समुदाय को अनुसूचति जनजातयिं की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया:

- जनजातयिं को ST की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया संबंघति राज्य सरकारों की सफिरशि से शुरू होती है, जसि बाद मंजनातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लयि भारत के महापंजीयक को इसे प्रेषति करता है।
- इसके बाद अंतमि नरिणय के लयि कैबनेट को सूची भेजे जाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचति जनजातआयोग की मंजूरी मलिती है।

अनुसूचति जनजातकी सूची में शामिल नए समुदाय:

हट्टी जनजात (हिमिचल प्रदेश):

- हट्टी एक घनषिठ समुदाय है, जिन्होंने कसबों में 'हाट' नामक छोटे बाजारों में घरेलू सबजयिं, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से यह नाम प्राप्त कया।
- यह समुदाय वर्ष 1967 जब उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके में रहने वाले लोगों को आदवासी का दर्जा दया गया तब से इसकी मांग कर रहा है, जसिकी सीमा सरिमौर ज़िले से लगती है।
- वर्षों से वभिनिन महा खुंबलयिं में पारति प्रस्तावों के कारण आदवासी दर्जे की उनकी मांग को बल मला।

नारकिरावन और कुरीवकिकरन (तमलिनाडु):

- नारकिरवा और कुरुवकिर (सयार पकड़ने वाले और पक्षी खाने वाले) जैसी खानाबदोश जनजातयिं शकिर तथा संग्रहण करने के अपने पारंपरिक व्यवसायों पर गर्व करती हैं।

बङ्गिया (छत्तीसगढ़)

- बङ्गिया को झारखंड और ओडिशा में अनुसूचति जनजातके रूप में सूचीबद्ध कया गया था लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं।
 - बङ्गिया, मांसाहारी है और कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वे गोमांस एवं सूअर का मांस नहीं खाते हैं, लेकिन हंडिया (चावल की बीयर) सहति मादक पेय का सेवन करते हैं।
- चूँकि उनमें से अधिकांश या तो भूमहीन या सीमांत कसिन हैं, वे पशुपालन, मौसमी वन संग्रह, कृषि, नरिमाण, औद्योगिक और खनन कषेत्रों में मज़दूरी करके अपनी आजीविका की पूरति करते हैं।

गॉड समुदाय (उत्तर प्रदेश):

- कैबनेट ने उत्तर प्रदेश के 13 ज़िलों में रहने वाले गॉड समुदाय को अनुसूचति जात सूची से अनुसूचति जनजात सूची में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- इसमें गॉड समुदाय की पाँच उपश्रेणयिं (धुरया, नायक, ओझा, पथरी और राजगॉड) शामिल हैं।

'बेट्टा-कुरुबा' (कर्नाटक):

- कर्नाटक के कडू कुरुबा के पर्याय के रूप में बेट्टा-कुरुबा समुदाय को अनुसूचति जनजातका दर्जा दया गया।

- बेट्टा-कुरुबा समुदाय पछिले 30 वर्षों से इस वर्ग में शामिल करने की मांग कर रहा है।

अनुसूचति जनजातकी सूची में इन वर्गों को शामिल करने के लाभ:

- यह कदम अनुसूचति जनजातियों की संशोधति सूची में नए सूचीबद्ध समुदायों के सदस्यों को सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत अनुसूचति जनजातियों के लिये लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- कुछ प्रमुख लाभों में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, वदिशी छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय फेलोशिप, शिक्षा के अलावा राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात वित्त और विकास नगिम से रधियती ऋण तथा छात्रों के लिये छात्रावास शामिल हैं।
- इसके अलावा वे सरकारी नीतिके अनुसार सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लाभों के भी हकदार होंगे।

भारत में अनुसूचति जनजातियों की स्थिति:

▪ परिचय:

- 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचति जनजातियों को "बहष्कृत" और "आंशिक रूप से बहष्कृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पछिड़ी जनजात" कहा जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय अधिनियमों में "पछिड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु प्रावधान किया।
- संविधान अनुसूचति जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है, इसलिये वर्ष 1931 की जनगणना में नहिंति परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में किया गया था।
- हालांकि संविधान का अनुच्छेद 366 (25) केवल अनुसूचति जनजातियों को परिभाषित करने के लिये प्रक्रिया प्रदान करता है: "अनुसूचति जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचति जनजात माना जाता है।
 - 342(1): राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में, जबकि राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जनजातियों या जनजातीय समुदायों के हिस्से या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के समूहों को अनुसूचति जनजातिके रूप में नरिदषिट कर सकता है।
- 705 से अधिक जनजातियाँ हैं जिन्हें अधिसूचति किया गया है। सबसे अधिक संख्या में आदविसी समुदाय ओडिशा में पाए जाते हैं।
- संविधान की पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचति क्षेत्रों एवं अनुसूचति जनजातियों के प्रशासन तथा नरियंत्रण के लिये प्रावधान करती है।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

▪ कानूनी प्रावधान:

- अस्पृश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
- अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचति क्षेत्रों तक विसतार) अधिनियम, 1996
- अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

▪ संबंधित पहल:

- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परसिंघ (TRIFED)
- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह
- प्रधानमंत्री वन धन योजना

▪ संबंधित समितियाँ:

- शाशा समिति (2013)
- भूरधिया आयोग (2002-2004)
- लोकुर समिति (1965)

UPSC सविलि सेवा, परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

नमिनलखिति युगमों पर वचिार कीजयि: (2013)

जनजाति राज्य

लबि (लमिबु) : सकिक्मि

कार्बी : हमिचल प्रदेश

डोंगरधिया कोंध : ओडशिा

बोंडा : तमलिनाडु

उपर्युक्त युगमों में से कौन-से सही सुमेलति हैं?

- (a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- लबि (लमिबु) स्थानीय लोगों की दूसरी सबसे बड़ी जनजात है जिससे करिती कहा जाता है। वे नेपाल में हिमालय के पूर्वी भाग में अरुण नदी के पूर्व में और उत्तरी भारत में जयादातर सकिक्मि, पश्चिमी बंगाल तथा असम राज्यों में रहते हैं। **अतः युग 1 सही सुमेलित है।**
- कारबसि, जिससे पहले मकिरि के नाम से जाना जाता था, असम का एक महत्वपूर्ण जातीय समूह है। मूल रूप से एक पहाड़ी नवासी जनजात, वे असम के मैदानी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। कारबी आंगलों के अलावा वे असम के नागाँव, कामरूप, मोरीगाँव उत्तरी कछार और सोनतिपुरे जिलों में नवासि करते हैं। **अतः युग 2 सही सुमेलित नहीं है।**
- डोंगरिया कोंध जनजात जो नयिमगरि पहाड़ियों के घने जंगलों में रहती है, दक्षिण-पश्चिमी ओडिशा के रायगडा और कालाहांडी जिलों में फैली हुई है। डोंगरिया ने भारत सरकार से विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) का दर्जा अर्जित किया है। **अतः युग 3 सही सुमेलित है।**
- बोंडा जनजात भारत की सबसे आदिम जनजात है। वे तीन राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जंक्शन के पास, दक्षिण-पश्चिमी ओडिशा के मलकानगरि जिले के अलग-अलग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। **अतः युग 4 सुमेलित नहीं है।**

अतः विकल्प (a) सही है।

[स्रोत: द द्रिष्टि](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/addition-of-tribes-to-st-list>

